अध्याय III

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

3.1 भारत में पोत/विमान में आयातित माल पर सीमा शुल्क लागू होता है और जब तक कि ये आगमन बदरगंाह / हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी के लिए नहीं होते हैं और इन्हे किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर पारगमन करना होता है, आयातकों को उतारे गए माल की विस्तृत सीमा शुल्क निकासी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क, और अन्य आवश्यक जानकारी का विवरण देने के लिए एक प्रविष्टि बिल (बीई) दर्ज करना आवश्यक है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत, बीई को आईसगेट[11] के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली जिसे आईसीईएस[12] के रूप में जाना जाता है, में दर्ज किया जा सकता है। गैर-ईडीआई प्रणाली में, बीई को आयातक द्वारा दस्तावेजों के एक निर्धारित सेट के साथ मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है।

3.2 सीमा शुल्क प्राधिकरणों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूट या लाभों पर उचित ध्यान देते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि

---

[11]आइसगेट का अर्थ है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे। आईसगेट एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके माध्यम से विभाग बीई (आयात वस्तुओं की घोषणा), शिपिंग बिल (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), ई-भुगतान, ऑन-लाइन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और अन्य डेटा सहित कई सेवाएं प्रदान करता है और सीमा शुल्क व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/जानकारी के लिए एक लिंक है।

[12] भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के दो पहलू हैं: (i) एक व्यापक, कागज रहित पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली (ii) आईसगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित व्यापार, परिवहन, बैंको और नियामक एजेंसियों के साथ ऑनलाइन, रियल टाईम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस।

क्या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और क्या उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/परमिट आदि की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से सीमा शुल्क टैरिफ के साथ-साथ आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण, व्याख्याओं, अध्याय और खंड नोट आदि के नियमों का ध्यान रखना और शुल्क देयता का निर्धारण करना शामिल है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है; जहां माल का मूल्य वर्धित आधार पर मूल्यांकन निर्धारणीय है।

3.3 कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए गए प्रविष्टि बिल (बीई) आईसीईएस द्वारा आरएमएस[13] को प्रेषित किए जाते हैं। आरएमएस स्वचालित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से डेटा को संसाधित करता है और परिणाम इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण के रूप में प्राप्त होता है। यह निर्धारण यह निर्धारित करता है कि क्या बीई पर कार्रवाई की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से मूल्यांकन या माल की जांच, या दोनों, या शुल्क के भुगतान के बाद और सीधे शुल्क प्रभारित, बिना किसी निर्धारण और जांच के मंजूरी दे दी जाएगी। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या प्रभारी अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। इसके अलावा, स्थानीय जोखिम प्रबधन (एलएमआर) समिति, आयातों के प्रतिबंध के लिए स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त हस्तक्षेप करने का निर्णय कर सकती है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आरएमएस आधारित आईसीईएस और/या निर्धारण के माध्यम से आयातों की निकासी की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान किए जाने से पहले लागू अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूर्णत: पूरा किया गया है।

[13] जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक आईटी संचालित प्रणाली है, जिसके प्राथमिक उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन बनाना और सीमा शुल्क मंजूरी में स्व:-अनुपालन की प्रवृति को बढ़ावा देना है। यह व्यापार लेनदेन से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों की पहचान करने के लिए स्वचालित समाधान का उपयोग करता है और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है और जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के स्तर के अनुसार सीमा शुल्क हस्तक्षेप के स्तर को निर्धारित करता है।

3.4 सीमा शुल्क डेटा का सीमित अभिगम

आईसगेट की पूर्णत: स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक और कागजरहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में सृजित अखिल भारतीय संव्यवहार डेटा सीबीआईसी के अंतर्गत प्रणाली निदेशालय (डीजी/प्रणाली) में बनाए गए एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 19, 20 और 21 के लिए आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अखिल भारतीय डेटा (जून 2019) बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। अखिल भारतीय संव्यवहारिक डेटा के अभाव में आईसीईएस के सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा कराई गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल में सीमाओं के विषय में सीबीआईसी को बताया गया था। तद्नुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय में निष्कर्ष 41 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे।

3.5 लेखापरीक्षा नमूना

वित्त वर्ष 20 के दौरान, कुल 1.21 करोड़ बीई और 1.37 करोड़ एसबी तैयार किए गए थे, जिनमें से स्थानीय जोखिमों के आधार पर क्षेत्राधिकार लेखापरीक्षा कार्यालयों ने प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा के लिए 4.11 लाख बीई (3.39 *प्रतिशत*) और 8.12 लाख एसबी (5.93 *प्रतिशत*) के नमूने का चयन किया। नमूनों का चयन अखिल भारतीय डेटा के अभाव में स्थानीय लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत क्षेत्रीय संरचनाओं के स्तर पर किया गया था, जो उपेष्ट्तम है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में दस्तावेजों की जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (102 मामले) को इस अध्याय में शामिल किया गया हैं। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों को मामूली अभ्युक्तियां जारी की गई थीं।

3.6 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. आयात का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.11)।

II. अधिसूचनाओं को गलत उपयोग (पैराग्राफ 3.8.1 से 3.8.8)।

III. अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 3.9)।

3.7 आयातों का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है। लागू शुल्क का उद्ग्रहण आयातित वस्तु पर लागू वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में 8,631 बीई (67 मामलों) में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण देखा गया। इस अध्याय में ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ वाले गलत वर्गीकरण के इन 67 मामलों, जिसका कुल राजस्व निहितार्थ ₹107 करोड़ है, को शामिल किया गया है। ₹10 लाख से कम धन मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के व्यक्तिगत मामलों की सूचना स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से दी गई है।

16 आयुक्तालयों में देखे गलत वर्गीकरण के 67 मामलों में से ₹98 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ से जुड़े 26 मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹9 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ से जुड़े शेष मामलों को **अनुबंध 3** में सूचीबद्ध किया गया है। विभाग ने ₹103 करोड़ के राजस्व निहितार्थ से जुड़े 67 मामलों को स्वीकार किया था और 51 मामलों में ₹23 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

3.7.1 मोबाइल फोन के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर को मोबाइल फोन हिस्सों के अलावा अन्य सामान के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

मोबाइल फोन के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर सीटीएच 39209999 के तहत वर्गीकरणीय है और इस पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 106)।

सीमा शुल्क आयुक्तालय-आयात एनसीएच नई दिल्ली, के माध्यम से अगस्त से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान ₹8,113 करोड़ मूल्य के 11,157 बीई को सीटीएच 85177090 के अंतर्गत किए गए आयात के लिए लेखापरीक्षा ने आयुक्तालय में सभी बीई को "मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर" के आयात के लिए फ़िल्टर किया और 2,202 बीई में ₹685 करोड़ मूल्य के आयात में ₹71.05 करोड़ का कम शुल्क उद्ग्रहण देखा।

मेसर्स ए और मेसर्स बी प्राइवेट लिमिटेड (अगस्त से नवंबर 2019) "मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर" 2,202 बीई के तहत ₹685 करोड़ का आयात किया। आयातकों ने सीटीएच-85177090 के तहत आयातित माल को "सेलुलर मोबाइल फोन के हिस्सों के अलावा अन्य सभी सामान" के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था। माल की निकासी शून्य/10 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 12 *प्रतिशत* की दर पर आइजीएसटी प्रभारित करके की गई थी। (28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017 एकीकृत कर (दर) की अनुसूची II की क्रम संख्या 203)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि:

i. सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 दिनांक 30 जून 2017 की क्रम संख्या 10 के संदर्भ में, माल 'बैटरी कवर' (जो सेल्युलर मोबाइल फोन का हिस्सा/उप-भाग या सहायक उपकरण है) को सीटीएच 39209999 के तहत कवर किया जाता है।
ii. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना एफ संख्या 33 (5) /2017-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 1 अगस्त 2018 के संदर्भ में, 'बैक/फ्रंट कवर/कैमरा लेंस/मेन लेंस आदि' मद को सीटीएच 39209999 के तहत मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए यांत्रिकी भागों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तदनुसार, सीटीएच 39209999 के तहत आयातित वस्तुओं के मेरिट वर्गीकरण पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उद्ग्रहणीय है (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम संख्या 106)। इस प्रकार, माल के

गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹71.05 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ जिसकी वसूली करने की आवश्यकता थी।

इस विषय में बताये जाने पर (दिसंबर 2019), प्रधान आयुक्त (एसीसी-आयात), एनसीएच-नई दिल्ली ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, दोनों आयातकों (मेसर्स ए लिमिटेड ₹143.98 करोड़, मेसर्स बी प्राइवेट लिमिटेड-₹86.60 करोड़) को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया (सितंबर/दिसंबर 2020), जिसमें अन्य अपात्र हिस्सों का आयात भी शामिल था (जैसे मुख्य लेंस/कैमरा आदि)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2021)।

3.7.2 यांत्रिक रूप से असंचालित ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों को कंटेनरों/लोहे या स्टील की अन्य कास्ट मदों के रूप में गलत वर्गीकरण

भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार, यांत्रिक रूप से असंचालित ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलर सीटीएच 8716 के तहत वर्गीकरणीय है और 26 जुलाई 2018 तक 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना 1/2017 - एकीकृत कर (दर), अनुसूची III, क्रम संख्या 175 दिनांक 28 जून 2017, यथा संशोधित}

"एयरक्राफ्ट इंजन स्टैंड" के आयात के लिए 664 बीई के तहत एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से जुलाई 2017 से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान सीटीएच 73102910/73102990/ 73259920 के तहत ₹77.54 करोड़ मूल्य का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा में ₹26.47 करोड़ मूल्य के आयात वाले 104 बीई में ₹3.22 करोड़ की शुल्क राशि के परिणामी कम उदग्रहण के गलत वर्गीकरण को पाया गया।

मेसर्स सी लिमिटेड, मेसर्स डी लिमिटेड और मेसर्स ई लिमिटेड ने एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹26.47 करोड़ के संयुक्त निर्धारणीय मूल्य (निर्धारण मूल्य) पर "एयरक्राफ्ट इंजन स्टैंड्स" के 104 परेषणों का आयात किया (जुलाई 2017 से मई 2018)। माल को सीटीएच 73102910/73102990/73259920 के तहत लोहे या इस्पात के कंटेनर/ अन्य कास्ट वस्तुओं के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 82

परेषणों में 18 *प्रतिशत* (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम संख्या 224) और 22 परेषणों में (क्रम सं 180, उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची II) 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि विमान इंजन स्टैंड, विमान को खाड़ी क्षेत्र से कार्यशाला और इसके विपरीत आदि से विमान इंजन को खींचने के लिए एक प्रकार का ट्रेलर है और इस प्रकार सीटीएच 87163900 के तहत वर्गीकरण योग्य है और उदग्रहित 18 *प्रतिशत*/12 *प्रतिशत* के बजाय 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है। इसके अलावा, निर्यातक ने अपने चालानों में सीटीएच 87163900 के तहत आयातित वस्तुओं को सही ढंग से "एयरक्राफ्ट इंजन स्टैंड" के रूप में वर्गीकृत किया था। तथापि, बीई दर्ज करते समय आयातकों ने सीटीएच 73102910/73102990/ 73259920 के तहत माल को गलत तरीके से वर्गीकृत किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹3.22 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था।

इस विषय में बताये जाने पर (नवंबर 2018), प्रधान आयुक्त (एसीसी-आयात), एनसीएच-नई दिल्ली ने सभी आयातकों के प्रति ₹3.22 करोड़ की मांग की पुष्टि की और मेसर्स ई लिमिटेड से ₹6.29 लाख के ब्याज के साथ ₹23.48 लाख की वसूली की सूचना दी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.3 आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए उपकरण को मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए भागों संचरण या प्राप्ति के लिए भागों के रूप में गलत वर्गीकरण

"तार या बेतार नेटवर्क में संचार हेतु उपकरण सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण, (जैसे स्थानीय या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क)" को सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकृत किया जाता हैं और इस पर सीमा शुल्क अधिसूचना 57/2017 दिनांक 30 जून 2017 के तहत 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगती है। एचएसएन के अनुसार "अन्य संचार उपकरण" समूह में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, राउटर, मल्टीप्लेक्सर और संबंधित लाइन उपकरण, डेटा

कंप्रेसर/डिकंप्रेसर (कोडेक्स) आदि शामिल हैं और सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकरणीय हैं।

एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय) दिल्ली के माध्यम से जुलाई 2017 से जुलाई 2018 की अवधि के दौरान 2,19,379 बीई के तहत किए गए सीटीएच 8517 के तहत आयात के लिए, लेखापरीक्षा ने स्विचिंग कार्ड- "100जी /320जी /60जी /10जी हाइब्रिड/प्योर मैट्रिक्स कार्ड", "स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लग योग्य (एसएफपी)", "थंडर 6630", "मुक्सपोंडर कार्ड"/ट्रांसपोंडर कार्ड", "ऑप्टिकल स्प्लिटर कार्ड", ऑप्टिकल "ट्रांससिवर", 8/ 44 चैनल मक्स डेमक्स बोर्ड कार्ड आदि के आयात के लिए 55,863 बीई को फ़िल्टर किया और 187 बीई में ₹6.37 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण देखा।

मेसर्स एफ लिमिटेड और 27 अन्य लोगों ने जुलाई 2017 से अगस्त 2019 के दौरान एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से "100जी/320जी/60जी/10जी हाइब्रिड/प्योर मैट्रिक्स कार्ड", "स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगकरने योग्य", "थंडर 6630", "मुक्सपोंडर/ट्रांसपोंडर कार्ड", नामक कंट्रोल एवं प्रोसेसर कार्ड/स्विचिंग कार्ड आदि का आयात किया। माल को सीटीएच 85177090-आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए पार्ट्स गलत वर्गीकृत किया गया था और शून्य दर पर बीसीडी का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि आयातित मद, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कन्वर्टर्स जैसे छोटे फॉर्म फैक्टर प्लगबल ट्रांसीवर्स (एसएफपी) हैं। इसलिए, सीटीएच 85176290- अन्य संचार उपकरण के तहत वर्गीकरण योग्य है और शून्य के बजाय 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा, विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा जारी किए गए सामंजस्यबद्ध प्रणाली पर स्पष्टीकरण टिप्पणियों के अनुसार, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड/ट्रांससीवर्स सीटीएच-851762 के तहत वर्गीकृत हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹6.37 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय में बताये जाने पर (मार्च 2018 से अगस्त 2019) प्रधान आयुक्त (एसीसी-आयात), एनसीएच-नई दिल्ली ने ₹5.28 करोड़ के राजस्व

निहितार्थ से जुड़े गलत वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया, जिसमें से ₹4.90 करोड़ की मांगों की पुष्टि की गई है और ₹1.25 करोड़ की वसूली की गई है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.4 "स्मार्ट घड़ियों" को मापन या जांच उपकरणों के रूप में गलत वर्गीकरण

बेतार नेटवर्क में आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए सभी उपकरणों को आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है जैसे 'एमआई बैंड - मॉडल एक्सएमएसएच 04 एचएम और एक्सएमएसएच 2 एचआईएम', सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकरण योग्य है और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को लगाया जाता है।

2017-18 के दौरान आईसीडी, सिटी आयुक्तालय , बेंगलुरु के माध्यम से 14 बीई के तहत किए गए ₹20.71 करोड़ मूल्य के 'एमआई बैंड - मॉडल एक्सएमएसएच 041 एचआईएम और एक्सएमएसएच 2 एचएम' के आयात के प्रति लेखापरीक्षा में तीन बीई में ₹1.10 करोड़ के कम उदग्रहण को पाया, जिसमें ₹6.79 करोड़ मूल्य का आयात शामिल है।

मेसर्स जी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु ने इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु के माध्यम से ₹6.79 करोड़ के मूल्य वाले एमआई बैंड का आयात किया (फरवरी 2018)। माल को गलत वर्गीकृत किया गया था और सीटीएच 90318000 के तहत "अन्य मापन या जांच उपकरण, उपयंत्र और मशीने जिन्हें अध्याय 90 में निर्दिष्ट या शामिल नहीं किया गया" के तहत निकासी की गई और लागू 20 *प्रतिशत* के बजाय 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को उदग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

इसके बताये जाने पर (सितंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹27.80 लाख के ब्याज सहित ₹1.38 करोड़ की वसूली की सूचना दी (जून 2021)।

3.7.5 'वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) सर्वर के लिए 'सीएक्सए स्टीलहेड उपकरण' के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

सीमा शुल्क शीर्षक (सीटीएच) 85176290 के तहत वर्गीकरण योग्य विभिन्न विशिष्टताओं के 'वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के लिए सीएक्सए स्टीलहेड उपकरण' है, जिसमें "एक तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या वाइड एरिया नेटवर्क) में संचार के लिए उपकरण सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण शामिल हैं", जो अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2005 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं है। तदनुसार, आयातित वस्तुएं, 10 *प्रतिशत* की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के लिए उदग्रहण योग्य है।

2017-18 की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), बेंगलुरु के माध्यम से ₹12.94 करोड़ के माल 'डब्ल्यूएएन सर्वर के साथ सीएक्सए स्टीलहेड' के आयात के लिए कुल 40 बीई दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹4.90 करोड़ के आयात से जुड़े छह बीई में गलत वर्गीकरण के कारण ₹59.53 लाख की शुल्क राशि के कम उदग्रहण के विषय में बताया गया।

मेसर्स एच प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु और मेसर्स आई प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2017 के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट एंव एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), बेंगलुरु के माध्यम से विभिन्न विशिष्टताओं के 'सीएक्सए स्टीलहेड' का आयात किया। आयातक ने आयातित माल को सीटीएच 84715000- 'उप-शीर्षकों - 8471 41 या 8471 49' के अलावा अन्य प्रसंस्करण इकाइयां के तहत वर्गीकृत किया, चाहे वह इकाई के एक या दो निम्नलिखित प्रकार के एक ही आवास में शामिल हैं या नहीं: भंडारण इकाइयां, इनपुट इकाईयां, आउटपुट इकाई' और उपरोक्त अधिसूचना के तहत बीसीडी छूट का दावा करने वाले माल को मंजूरी दे दी गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 'डब्ल्यूएएन से बेहतर प्रदर्शन और डेटा हस्तांतरण के लिए सीएक्सए स्टीलहेड उपकरण' होने के कारण आयातित वस्तुएं सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकरण योग्य है जिन पर दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005 के तहत बीसीडी के लिए छूट

नहीं दी जा सकती है। इसलिए, आयातित माल पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹59.53 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूल किया जाना आवश्यक था।

इस विषय में बताये जाने पर (जून/अक्टूबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया (जून 2021) कि मेसर्स एच प्राइवेट लिमिटेड के प्रति ₹40.84 लाख की मांग की पुष्टि की गई है। आयातक ने मूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी और ₹40.84 लाख का भुगतान भी किया था। एक अन्य आयातक मेसर्स आई प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹35.83 लाख की मांग की पुष्टि हुई है जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई ₹18.68 लाख की मांग शामिल है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.6 एयरोनॉटिकल उपयोग (सीटीएच 85/90) के लिए दिशासूचक उपकरणों/अन्य उपकरणों का गलत वर्गीकरण

(क) एयरोनॉटिकल उपयोग (सीटीएच 85/90) के लिए दिशासूचक उपकरणों/अन्य उपकरणों का हेलीकॉप्टर/विमानों (सीटीएच 8803) के हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के खंड XVII की टिप्पणी 2 के अनुसार (खंड XVII अध्याय 86 से 89 को कवर करता है), अभिव्यक्ति "भागों" और "भागों और सामान" (चाहे वे इस खंड के लिए माल के रूप में पहचाने जाते हैं या नहीं), अन्य बातों के साथ-साथ अध्याय 82 के अनुच्छेदों, मशीनों या शीर्षक 8401 से 8479 के उपकरणों या उसके कुछ हिस्सों, शीर्षक 8481 या 8482 के अनुच्छेदों पर लागू नहीं होते बशर्ते कि वे इंजनों या मोटरों का शीर्षक 8483 के अनुच्छेदों, विद्युत मशीनरी या उपकरण (अध्याय 85) और अध्याय 90 के अनुच्छेदों आदि का अभिन्न भाग बनते हैं। तदनुसार, ऐसे भाग और उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 86 से 89 के अंतर्गत शामिल नहीं है।

सीटीएच 9014 के तहत एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार, एयरोनॉटिकल दिशासूचक उपकरण सीटीएच 90142000 के तहत वर्गीकरण योग्य है और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं (क्रम संख्या 411-1, 422, अनुसूची III अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017)।

सीटीएच 8803 3000 के तहत एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), नेदुम्बासेरी, केरल में दर्ज किए गए ₹64.31 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य (ए.वी.) वाले आयातों के लिए 274 बीई (जनवरी 2017 से दिसंबर 2018) में से ₹35.26 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 45 बीई की नमूना जांच की गई। ₹16.59 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य के आठ बीई में आयात का गलत वर्गीकरण देखा गया।

मेसर्स जे, कोचीन ने विमान पत्तन नेदुम्बासेरी, केरल के माध्यम से विमान/हेलीकॉप्टर की दिशासूचक प्रणाली के उपकरणों/भागों के चार परेषणों, विमानन वस्तुओं इंजन नियंत्रण प्रणाली के तीन परेषणों, और रडार उपकरण के एक परेषण (सितंबर/अक्टूबर 2018) का आयात किया (नवंबर 2017 से अक्टूबर 2018)। आयातित माल का कुल निर्धारण मूल्य ₹16.59 करोड़ था।

हालांकि, आयातक द्वारा बीई के साथ प्रस्तुत तकनीकी ब्यौरे में आयातित माल की विशिष्टताओं को "एविएशन ग्रेड इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक मदों", "एविएशन ग्रेड स्ट्रक्चरल मद" आदि के रूप में दर्शाया गया था, माल को सीटीएच 8803 3000 के तहत 'हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के अन्य हिस्सों' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया गया (अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची ।, अनुक्रमांक संख्या 245 में यथा संशोधित)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि तकनीकी ब्यौरे के अनुसार, आयतित माल सीटीएच 9014 8090 - 'अन्य दिशासूचक यंत्र और उपकरण - अन्य'/ 90149000 -एयरोनॉटिकल या अंतरिक्ष दिशासूचक के किए उपकरणों के भाग/9032 9000 - 'स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरणों के भाग और सहायक उपकरण' /8525 1000 - 'रडार उपकरण' के तहत वर्गीकरण योग्य है और 28 जून 2017 की उपरोक्त अधिसूचना के तहत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल ₹2.12 करोड़ की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (नवंबर 2018/मार्च 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹35.66 लाख के ब्याज सहित ₹2.13 करोड़ के शुल्क की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2021)।

(ख) "विमानों के अन्य भागों" के रूप में "एटिट्यूड एवं हैडिंग रेफरेंस इकाई (एएचआरयू)" का गलत वर्गीकरण

जनवरी 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 4,677 बीई के तहत एनसीएच (आयात आयुक्तालय), नई दिल्ली के माध्यम से ₹2,712.45 करोड़ मूल्य पर सीटीएच 88033000 के तहत आयात के लिए लेखापरीक्षा ने "एटिट्यूड एवं हैडिंग रेफरेंस इकाई (एएचआरयू)[14]" के आयात के लिए पूरे आंकड़ों (4677 बीई) को फ़िल्टर किया और पाया कि ₹12.65 करोड़ मूल्य के आयात वाले 14 बीई में ₹12.65 करोड़ के आयात में कुल ₹1.68 करोड़ की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ था।

मेसर्स के लिमिटेड, (एचएएल), मेसर्स एल लिमिटेड, मेसर्स सी लिमिटेड, और मेसर्स एम प्राइवेट लिमिटेड ने 14 बीई के तहत ₹12.65 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर एएचआरयू का आयात किया (मार्च 2018 से फरवरी 2019)। इस माल को सीटीएच 88033000 के तहत- विमानों के अन्य भागों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और बीसीडी को शून्य/2.5 *प्रतिशत* और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची । की क्रम संख्या 245) का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि खंड XVII के उपरोक्त टिप्पणी 2 के आधार पर, आयातित माल खंड XVII (अध्याय 86 से 89) के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। तदनुसार, ऐसे भाग और सहायक उपकरण सीटीएच 88033000 के तहत कवर नहीं किए जाते हैं जैसा कि विभाग द्वारा मंजूरी दी गई थी। आयातित वस्तुएं "एयरोनॉटिकल दिशासूचक उपकरण" हैं और

---

[14]एएचआरयू, एयरोनॉटिकल नेविगेशन के लिए ऊंचाई और हेडिंग संदर्भ प्रणाली (एएचआरएस) का प्रमुख घटक है।

एएचआरयू एक बॉक्स है जिसमें आवश्यक दर जायरोस, एक्सेलेरोमीटर, विद्युत् आपूर्ति, और अन्य उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग त्वरण बलों, परिवर्तन की दर, विमान के स्थिति और चुंबकीय शीर्षक को मापने के लिए किया जाता है।

सीटीएच 90142000 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत हैं और 18 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 411-I) उद्ग्रहणीय है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ के कम शुल्क का उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (मार्च 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹1.69 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अप्रैल 2021)।

(ग) "जायरोस्कोपिक क्षितिज/ डायरेक्शनल जायरो/ एक्सेलेरोमीटर" (दिशासूचक उपकरण) का गलत वर्गीकरण

सीटीएच 9014 के तहत एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार, एयरोनॉटिकल दिशासूचक उपकरण, सीटीएच 90142000 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं (अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III क्रम संख्या 411-I)।

जनवरी से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान, 1,849 बीई के तहत एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹1,894.14 करोड़ के मूल्य पर सीटीएच 8803 के तहत किए गए आयात के लिए लेखापरीक्षा ने "जायरोस्कोपिक क्षितिज/डायरेक्शनल जायरो/एक्सेलेरोमीटर" के आयात के लिए पूरे आंकड़ों (1,849 बीई) को फ़िल्टर किया और पाया कि ₹3.96 करोड़ मूल्य के आयात वाले सात बीई में ₹52.67 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण किया गया था।

मेसर्स एन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओ लिमिटेड ने (फरवरी से जून 2019) एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹3.96 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर "जायरोस्कोपिक क्षितिज/डायरेक्शनल जायरो/ एक्सेलेरोमीटर" के सात परेषणों का आयात किया। माल को सीटीएच 88033000/88039000 के तहत "विमान भागों" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया (उपरोक्त आईजीएसटी अधिसूचना के अनुसूची I की क्रम संख्या 245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि एचएसएन टिप्पणी के अनुसार आयातित वस्तुएं, एयरोनॉटिकल नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होने के नाते, सीटीएच 90142000 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम संख्या 411-I) और खंड XVII की उपरोक्त टिप्पणी 2 के आधार पर सीटीएच 8803 के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹52.67 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण किया गया।

इस विषय पर बताये जाने पर (अगस्त 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹61.06 लाख की वसूली की सूचना दी (जुलाई 2021) जिसमें ₹8.39 लाख का ब्याज शामिल था।

(घ) बॉल बीयरिंग का हेलीकाप्टरों और हवाई जहाजों के हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

बॉल बीयरिंग सीटीएच 8482 के तहत वर्गीकृत हैं और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी, बीसीडी के 10 *प्रतिशत* की दर से समाज कल्याण अधिभार और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं {आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 1/2017 -एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017, की अनुसूची III की क्रम संख्या 369}।

आयात के लिए 4,828 बीई के तहत एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से जनवरी 2018 से फरवरी 2019 की अवधि के दौरान सीटीएच 8803 के तहत किए गए ₹2,282 करोड़ के आयात के लिए लेखापरीक्षा ने ₹7.87 करोड़ मूल्य के आयात से संबंधित 16 बीई के संबंध में ₹1.05 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण के विषय में बताया।

मेसर्स पी ने ₹7.87 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर विमानों के लिए 1,756 मद "वलयाकार बॉल बीयरिंग/बॉल बीयरिंग" का आयात किया (फरवरी से जून 2018)। इस माल को हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों के हिस्सों के रूप में सीटीएच 88033000 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था और 2.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी (अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क

की क्रम संख्या 545 के तहत लाभ की अनुमति देने के बाद), और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया गया था (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची-I की क्रम संख्या 245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं "बॉल बीयरिंग" हैं और इसलिए सीटीएच 84829900- अन्य "बॉल बीयरिंग" के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय हैं और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी, 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 369)। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (फरवरी/मई 2019) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹1.28 करोड़ की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021) जिसमें ₹23 लाख का ब्याज शामिल था।

(ड़) 'विमान इंजन के लिए सिलेंडर' का प्रोपेलर और रोटर/अंडर कैरिएज और उसके कुछ हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

"विमानों के लिए सिलेंडर" सीटीएच 84091000- विमान इंजन के साथ पूरी तरह से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य हैं (अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची IV की क्रम संख्या 116)

एनसीएच (आयात आयुक्तालय), नई दिल्ली के माध्यम से मार्च 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 4,677 बीई के तहत ₹2,712.45 करोड़ के मूल्य पर सीटीएच 8803 के तहत किए गए आयात के लिए, लेखापरीक्षा ने "विमानों के लिए सिलेंडर" के आयात के लिए पूरे डेटा को फ़िल्टर किया और ₹242.67 लाख मूल्य के आयात वाले तीन बीई में गलत वर्गीकरण को पाया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.48 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

मेसर्स के और मेसर्स एल लिमिटेड ने एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से "विमानों के लिए सिलेंडर" के तीन परेषणों का आयात किया (मार्च से

अक्टूबर 2018)। माल को सीटीएच 88031000/88032000 के तहत प्रोपेलर और रोटर/अंडर-कैरिएज और उसके कुछ हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और शून्य/2.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया गया था (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची I की क्रम संख्या 245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि उपर्युक्त आयातित वस्तुएं, "सिलेंडर" विमान इंजनों के हिस्से थे और इसलिए, सीटीएच 8409 की व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार, ऐसे आयातित माल को सीटीएच 84091000 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया जाता है और 28 *प्रतिशत* (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV की क्रम संख्या 116) की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.48 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (मार्च 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने बताया (अप्रैल 2021) कि आयातकों से ब्याज सहित ₹56.57 लाख की कुल वसूली की गई है।

(च) रिमोटली पायलेट विमान (आरपीए) के हिस्सों को रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए ट्रांसमिशन उपकरण के रूप में गलत वर्गीकरण

'शीर्षकों 8525 से 8528' के उपकरण के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग', सीटीएच 8529 1019 के तहत वर्गीकरणीय हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य है।

सीटीएच 4819 के अंतर्गत वर्गीकृत मदों वाली 23 बीई, सीटीएच 8443 के तहत 103 बीई और सीटीएच 8525 के तहत 58 बीई 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की अवधि के दौरान केरल के कोच्चि हवाई अड्डे में ₹19.46 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य पर दर्ज की गई थी। सभी बीई की जांच की गई और ₹10.81 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य की एक बीई में गलत वर्गीकरण देखा गया।

मेसर्स जे ने हवाई अड्डे, नेदुम्बसेरी, केरल (बीई सं 2110490, दिनांक 19 फरवरी 2019) के माध्यम से ₹10.81 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य सहित,

'रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट (आरपीए) की मरम्मत के लिए आवश्यक भागों' नामत: दोहरी मल्टीचैनल रिसीवर प्रोसेसर, टीएम/टीवी आरएफ हेड असेंबली, एफओटीएम असेंबली और बॉक्स एफए एमसीपीए पीपीसी टाइप 4 का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 8525 5090/8443 9990/8443 1910 और 4819 1010 के तहत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 *प्रतिशत* पर बीसीडी का उदग्रहण किया था। कुल ₹2.18 करोड़ का शुल्क संग्रहण हुआ। आयातित माल, रिमोटली पायलट एयर क्राफ्ट (आरपीए) में उपयोग किए जाने वाले संचार/प्राप्ति उपकरण के हिस्से थे और इसलिए सीटीएच 85291019 के तहत 'शीर्षकों 8525 से 8528' के उपकरण के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग' के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिस पर 10 *प्रतिशत* पर बीसीडी दर से शुल्क लगता है। तदनुसार, कुल ₹3.35 करोड़ का शुल्क उदग्रहण योग्य था। माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹53.75 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (सितंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि ₹6.05 लाख के ब्याज सहित ₹53.75 लाख के कम उदग्रहित शुल्क की वसूली हुई है।

(छ) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर को 'विमानों या हेलीकाप्टरों के अन्य भागों ' के रूप में गलत वर्गीकृत

"ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) रिसीवर" सीटीएच 85269190 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी को लगाते हैं।

9,356 बीई के तहत, एनसीएच (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से मार्च 2018 से मार्च 2019 के दौरान ₹2,712 करोड़ मूल्य के सीटीएच 8803 के तहत आयात किया गया था। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में कुल ₹3.78 करोड़ मूल्य के "जीपीएस" के आयात वाले छह बीई में ₹50.29 लाख तक शुल्क के कम उदग्रहण को पाया ।

मेसर्स के लिमिटेड और मेसर्स आर लिमिटेड ने ₹3.78 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर "ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) /सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम (एसबीएएस)/बीटा-3" का आयात किया। इस

माल को सीटीएच 88033000 'विमानों या हेलीकॉप्टरों के अन्य भागों' के तहत वर्गीकृत किया गया था और 2.5 *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी (सीमा शुल्क अधिसूचना 50/2017 की क्रम संख्या 545 के तहत लाभ की अनुमति देने के बाद) और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूची 1 की क्रम संख्या 245 के तहत) का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल "जीपीएस रिसीवर" है और सीटीएच 8526 और 9014 के लिए एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार **"**जीपीएस रिसीवर**",** सीटीएच 85269190 के तहत सही ढंग से वर्गीकरण योग्य हैं और तदनुसार, 5 *प्रतिशत* की दर के बजाय 18 *प्रतिशत* (आईजीएसटी अधिसूचना 1/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 383क) की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹50.29 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

यह बताये जाने पर (फरवरी 2019 /मई 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने मेसर्स के लिमिटेड से ₹39.93 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त, 2021) और मेसर्स आर लिमिटेड को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसंबर 2020)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.7 मोटर वाहनों के 'ट्रांसमिशन शाफ्ट'/'शॉक अब्जॉर्बर्स'/'गियर बॉक्स'/'विंडो ग्लास के लिए विंडो गाइड' का गलत वर्गीकरण

(क) लिफ्टिंग, हैंडलिंग, लोडिंग, उत्खनन या बोरिंग आदि के लिए शीर्षकों सीटीएच 84.25 से 84.30 के मशीनरी भागों के रूप में 'क्लच' का गलत वर्गीकरण

क्लच के हिस्से सीटीएच 84839000 के तहत वर्गीकरणीय है और इन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (अधिसूचना संख्या 1/2017/एकीकृत कर (दर), अनुसूची IV, क्र. सं 135, दिनांक 28 जून 2017) उदग्राहय है।

1,060 बीई के तहत, आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली के माध्यम से जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018 की अवधि के दौरान, सीटीएच 8431 के तहत ₹113 करोड़ मूल्य का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा ने "क्लच हाउसिंग-पार्ट्स ऑफ क्लच" के आयात के लिए सभी 1,060 बीई को फ़िल्टर किया और ₹7.80 करोड़ मूल्य के आयात के 21 बीई में ₹1.60 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण को पाया।

मेसर्स एस लिमिटेड ने ₹7.80 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर 21 बीई के तहत "क्लच हाउसिंग-पार्ट ऑफ क्लच" का आयात किया (जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018)। आयातित माल को सीटीएच 84314930-"भूमि खनिजो/अयस्कों के लिए उत्खन्न समतल करने, टैंपिंग और उत्खन्न मशीनरी के भाग" के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था और सीमा शुल्क अधिसूचना 152/2009, दिनांक 13 दिसंबर 2009 और आईजीएसटी अधिसूचना 1/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 328 के तहत क्रमश: "शून्य"/18 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी/आईजीएसटी के उदग्रहण के बाद इनकी निकासी कर दी गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सीटीएच 8431, लिफ्टिंग, हैंडलिंग, लोडिंग, खुदाई या बोरिंग के लिए शीर्षक संख्या 8425 से 8430 की मशीनरी के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भागों के लिए है। आयातित माल "क्लच के हिस्से" हैं जो सीटीएच 84839000 के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय हैं और शून्य *प्रतिशत* के बजाय 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* के बजाय 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण और बाद में अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹1.60 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (अक्टूबर 2018), सीमा शुल्क आयुक्त आईसीडी-पटपड़गंज ने बीई के पुनर्निर्धारण के बाद 21 परेषणों के संबंध में ₹1.60 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अक्टूबर 2020)।

(ख) मोटर वाहनों के लिए 'शॉक अब्जॉर्बर्स' को 'लौह एवं इस्पात की अन्य वस्तुओं'/फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों के लिए अन्य माउंटिंग/फिटिंग के रूप में गलत वर्गीकरण

एचएसएन के अनुसार, शीर्षकों 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण शीर्षक 8708 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं, यदि वे केवल ऊपर उल्लिखित वाहनों के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त होने के रूप में पहचाने जाने योग्य हैं और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के खंड XVII की टिप्पणियों के प्रावधानों से बाहर नहीं हैं।

सरकार ने अधिसूचना संख्या 6/2018- सीमा शुल्क दिनांक 2 फरवरी 2018 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 में संशोधन किया, जिसके अनुसार शीर्षक 8702 से 8704 के तहत आने वाले मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरणों के अलावा अन्य सभी माल पर बीसीडी की प्रभावी दर 10 *प्रतिशत* है। इसका अर्थ यह है कि शीर्षक 8702 से 8704 के तहत आने वाले और शीर्षक 8708 के तहत वर्गीकृत मोटर वाहनों के "पार्ट्स और सहायक उपकरण" के किसी भी आयात पर बीसीडी के रूप में 15 *प्रतिशत* की योग्य दर को लगाया जाएगा। इसके अलावा, शीर्षक 8702 से 8705 के तहत आने वाले मोटर वाहनों के "पार्ट्स और सहायक उपकरण" 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी के उदग्रहण योग्य हैं {क्र. सं. 170; 1 जुलाई 2017 से प्रभावी अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची IV}।

तदनुसार, मोटर वाहनों के एक आयातित माल, ऑटोमोटिव पार्ट्स 'शॉक अब्जॉर्बर' सीटीएच 87088000 के तहत सही वर्गीकरण योग्य हैं और 01 फरवरी 2018 तक 10 *प्रतिशत* और 2 फरवरी 2018 से 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य हैं। माल पर 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी भी उदग्राह्य है।

नवंबर 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, कुल 2,812 बीई को आयात सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई के तहत आईसीडी, इरुगाट्टुकोट्टई के माध्यम से सीटीएच 73269099/

83023090 के तहत ₹356.70 करोड़ के "शॉक अब्जॉर्बर और अन्य" के आयात के लिए दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा में ₹166.84 करोड़ मूल्य के 412 बीई की नमूना जांच की गई और 161 बीई में ₹1.32 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण के विषय में बताया गया।

मेसर्स टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स यू प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2017 से मार्च 2019 के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई के तहत आईसीडी, इरुगट्टुकोट्टई के माध्यम से "शॉक अब्जॉर्बर" के 161 परेषणों का आयात किया। आयातक ने सीटीएच 73269099 (लोहे और इस्पात की अन्य वस्तु) /83023090 (फर्नीचर/दरवाजे/खिड़कियों के लिए अन्य माउंटिंग, फिटिंग और इसी तरह की वस्तुए) के तहत माल की घोषणा की। विभाग ने घोषित माल विवरण को स्वीकार कर लिया और सीटीएच 73269099/सीटीएच 83023090 के तहत माल की निकासी कर दी और क्रमशः अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 की क्र. सं 377/ तहत 10 *प्रतिशत* की दर पर/10 *प्रतिशत* की योग्यता दर पर बीसीडी का निर्धारण किया। इसके अलावा, आईजीएसटी (अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर की अनुसूची III की क्र सं 238 और 303ए) 18 *प्रतिशत* की दर से भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 'शॉक अब्जॉर्बर्स' एक, ऑटोमोटिव पार्ट्स होने के नाते, विशेष रूप से सीटीएच 87088000 के तहत कवर किए जाते हैं और 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* (मेरिट दर) की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य हैं। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था जिसे आयातक से लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

इस विषय पर बताये जाने पर (नवंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और लागू ब्याज सहित ₹1.63 करोड़ के अंतर शुल्क की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021)।

(ग) गियर बॉक्स के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क का कम उदग्रहण

एचएसएन के अनुसार, "मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण-गियर बॉक्स और उसके पार्ट्स" सीटीएच 8708 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य हैं। तदनुसार, आयातित माल "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट" पर बीसीडी को 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की दर से लगाया जाता है ।

नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान, कुल 1,142 बीई को "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट और अन्य" माल के आयात के लिए सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई के माध्यम से ₹55.45 करोड़ मूल्य पर सीटीएच 84834000/73182990/ 73182910 के तहत दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹16.98 करोड़ मूल्य के 350 बीई की नमूना जांच की गई और ₹6.46 करोड़ के आयात वाले 84 बीई में ₹97.61 लाख के शुल्क के कम उदग्रहण के बारे में बताया।

मेसर्स टी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई के माध्यम से नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 के दौरान, "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट" के 84 परेषणों का आयात किया, जिसमें सीटीएच 84834000/73182990/73182910 ("सीएनसी लेथ के विनिर्माण में उपयोग के लिए बॉल स्क्रू"/"लोहे या स्टील के अन्य गैर-थ्रेडेड वस्तु"/"सरकिलप") के तहत माल की घोषणा की। विभाग ने घोषित माल विवरण को स्वीकार करते हुए यथा संशोधित रूप में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम. सं. 377 के अनुसार सीटीएच 8483400 के लिए 7.5 *प्रतिशत* की दर से और सीटीएच 73182990/73182910 के लिए 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का निर्धारण किया और माल को मंजूरी दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट" होने के नाते माल, सीटीएच 8708-'गियर बॉक्स और उसके हिस्सों' के तहत वर्गीकरण योग्य हैं, न कि सीटीएच 84834000/73182990/73182910 के तहत। इस प्रकार, आयातित माल पर 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य है। गलत

वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹97.61 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूल किया जाना आवश्यक था।

इस विषय पर बताये जाने पर (नवंबर 2019) वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2021) और ₹22.86 लाख के ब्याज सहित ₹1.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

(घ) मोटर साइकिल भागों का अन्य वाहनों के कुछ हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 8711 के तहत आने वाले मोटर साइकिलों के पार्ट्स और सहायक उपकरण, सीटीएच 871410 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और बीसीडी 15 *प्रतिशत* की दर से उदग्राह्य है (2 फरवरी 2018 से)।

जनवरी 2018 से फरवरी 2019 की अवधि के दौरान, 937 बीई और 113 बीई के तहत दिल्ली के आईसीडी-टीकेडी (आयात आयुक्तालय) और एसीसी, एनसीएच (आयत आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 8714 के तहत ₹124.29 करोड़ मूल्य का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा में कुल 215 बीई की नमूना जांच की गई जिसमें ₹20.68 करोड़ मूल्य के आयात शामिल था और 184 बीई (आईसीडी-टीकेडी-102 बीई, एनसीएच दिल्ली-82 बीई) में ₹19.54 करोड़ के आयात शामिल थे, जिसमें ₹1.38 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण पाया।

मेसर्स वी और 40 अन्य ने आईसीडी टीकेडी (आयात आयुक्तालय , नई दिल्ली) और एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹20.68 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर "मोटर साइकिल अलॉय व्हील और विभिन्न मोटर साइकिल भाग" का आयात किया (फरवरी 2018 से जनवरी 2019)। आयातित माल को सीटीएच-87142090-निशक्त व्यक्तियों के वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण के रूप में)/87149100/87149290/ 87149400/ 87149990-अन्य वाहनों के भाग के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का उदग्रहण किया गया (अधिसूचना संख्या 50/2017 की क्रम संख्या 532 के तहत)।

आयातित माल, मोटर साइकिलों के हिस्से हैं और इसलिए, सीटीएच 871410 के तहत वर्गीकरण योग्य है और इन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगती हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹67 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (फरवरी/अगस्त 2018) आईसीडी-टीकेडी (आयात आयुक्तालय) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए 17 आयातकों से ₹31.91 लाख की वसूली की सूचना दी, 12 आयातकों के प्रति ₹26.13 लाख की मांगों की पुष्टि की और 10 आयातकों को नोटिस जारी किए। एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली ने एक आयातक (मैसर्स डब्ल्यू- एक बीई) से ₹ 0.04 लाख की वसूली की सूचना दी और दूसरे आयातक (मैसर्स एक्स लिमिटेड) के प्रति ₹2.04 लाख की मांग की पुष्टि की, जिसने ₹2.04 लाख की मांग के प्रति ₹0.68 लाख का भुगतान किया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2021)।

(इ) "विंडो गाइड" - मोटर वाहन के पुर्जों के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण

एक 'विंडो गाइड' मोटर वाहन का एक पुर्जा है जो विंडो ग्लास को सही जगह पर रखने में मदद करता है और विंडो को बंद रखने के लिए एक सील बनाता है और डोर फ्रेम के अंदर स्थित होता है। एचएसएन की व्याख्यात्मक टिप्पणियों में कहा गया है कि 8701 से 8705 शीर्षक के मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 8708 के तहत वर्गीकरणीय हैं। तदनुसार, 'विंडो गाइड' सीटीएच 87089900 के तहत वर्गीकरणीय है "सीटीएच 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के अन्य पुर्जे और सहायक उपकरण" अधिसूचना संख्या 1/2017 (एकीकृत कर) दिनांक 28 जून 2017 यथा संशोधित अनुसूची IV की क्रम संख्या 170 के अनुसार, एकीकृत कर 28 *प्रतिशत* पर और बीसीडी 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* पर उद्ग्राहय है।

आईसीडी, इरुंगट्टुकोट्टई में ₹36.12 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ दर्ज की गई 1,464 बीई में से, लेखापरीक्षा ने 'विंडो गाइड' के आयात से जुड़े सभी बिलों के डेटा की जांच की। यह पाया गया कि ₹432.42 लाख के निर्धारण मूल्य के लिए मेसर्स टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित (नवंबर 2017 से जनवरी 2019) विंडो गाइड के 182 परेषणों को सीमा शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद 83023090 के तहत गलत तरीके से 'अन्य माउंटिंग, फिटिंग और मोटर वाहनों के लिए उपयुक्त सामान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अधिसूचना संख्या 1/2017 (एकीकृत कर) की अनुसूची III के क्र.सं. 303ए के अनुसार आईजीएसटी का 18 *प्रतिशत* और बीसीडी का 10 *प्रतिशत* पर निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने (नवंबर 2019) बताया कि वर्णित माल देखते हुए पैरा 1 में उद्धृत उपरोक्त एचएसएन प्रावधानों के अनुसार उक्त माल, सीटीएच 87089900 के तहत तथा शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के "अन्य भागों और सहायक उपकरण" के रूप वर्गीकरण योग्य है, जिस पर 10/15 *प्रतिशत* पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी का उद्ग्रहण किया जाता है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹71.27 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

इस विषय में बताए जाने पर (नवंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि आयातक से ₹86.57 लाख की वसूली की गई है, जिसमें ब्याज शामिल था।

3.7.8 फैब्रिक के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण

'कृत्रिम फिलामेंट यार्न के बुने हुए फैब्रिक ' सीटीएच 5408 के तहत वर्गीकरणीय हैं। इस उप-शीर्षक के तहत, 'अन्य-रेयान के रंगे फैब्रिक' सीटीएच 54082219 के तहत वर्गीकरणीय है और' अन्य -रेयान के प्रिंटेड फैब्रिक ' सीटीटएच 54082490 के तहत वर्गीकरणीय है। सीटीएच 54082219 के लिए लागू बीसीडी दर 25 *प्रतिशत* या ₹45 प्रति वर्गमीटर है, जो भी अधिक हो और सीटीएच 54082490 के लिए, बीसीडी 25 *प्रतिशत* या ₹87 प्रति वर्गमीटर है, जो भी अधिक हो।

हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से जुलाई 2018 से सितंबर 2019 के दौरान 103 बीई के तहत ₹43.11 करोड़ मूल्य के मानव निर्मित टेक्सटाइल फैब्रिक के आयात के लिए, लेखापरीक्षा में 62 बीई की नमूना जांच की गई जिसमें ₹35.06 करोड़ मूल्य के आयात शामिल हैं और ₹2.50 करोड़ मूल्य के आयात वाले चार बीई में ₹1.21 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण बताया गया।

मेसर्स वाई प्राइवेट लिमिटेड (दिसंबर 2018 से सितंबर 2019) ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), सनतनगर, हैदराबाद के माध्यम से 'विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान) - प्लेन और प्रिंटेड आयात किया। आयातित माल विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान)-प्लेन को सीटीएच 55161200 के तहत "कृत्रिम स्टेपल फाइबर के रंगे वोवेन फैब्रिक" के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। आयातित 'प्रिंटेड विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान)' को (i) सीटीएच 55161410 के "स्पुन रेयान प्रिंटेड शांतुंग" और (ii) 55161490 "कृत्रिम स्टेपल फाइबर के अन्य वोवेन फैब्रिक" के तहत गलत रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, आयातित माल कृत्रिम फिलामेंट यार्न से बने थे, इसलिए विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान)' 'प्लेन और प्रिंटेड-को सीटीएच 54082219 और 54082490 के तहत वर्गीकरण योग्य थे क्योंकि ये रेयान के वोवेन फेब्रिक थे। तदनुसार, सीटीएच 54082219 के लिए बीसीडी 25 *प्रतिशत* या ₹45 प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो, पर उद्ग्रहणीय है और सीटीएच 54082490 के लिए बीसीडी 25 *प्रतिशत* या ₹87 प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक है, पर उद्ग्रहीत की जानी थी। इस प्रकार, माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का ₹1.21 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2019) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा (मार्च 2021) कि आयातक को ₹1.21 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अक्टूबर 2020) । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.9 'कॉपर की अन्य वस्तुओं' का कॉपर बार, छड़ के रूप में गलत वर्गीकरण

'कॉपर की अन्य वस्तुए' सीटीएच 7419 के तहत वर्गीकरणीय हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और आईजीएसटी को 28 *प्रतिशत* (14 नवंबर 2017 तक) /18 *प्रतिशत* (अधिसूचना संख्या 01 की अनुसूची IV/III की क्रम सं. 104/253- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017) की दर से लगता है।

14 बीई के तहत आईसीडी तुगलकाबाद (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से जुलाई 2017 से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान सीटीएच 74071090 के अंतगर्त किए गए ₹11.08 करोड़ मूल्य के आयात के लिए लेखापरीक्षा ने पूरे डेटा (14 बीई) की नमूना जांच की और ₹9.82 करोड़ मूल्य के आयात से संबंधित 11 बीई में ₹73.65 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया है।

मेसर्स जेड प्राइवेट लिमिटेड ने ₹9.82 करोड़ के निर्धारित मूल्य पर "कॉपर एनोड बॉल्स/नगेट्स" के 11 परेषणों का आयात किया (अक्टूबर 2017 से नवंबर 2018)। आयातित मद को सीटीएच-74071090-अन्य कॉपर बार, छड़ और प्रोफाइल के तहत गलत वर्गीकृत किया गया और बीसीडी को 5 *प्रतिशत* की दर से, आईजीएसटी को 18 *प्रतिशत* की दर से लगाया गया था (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम.सं.245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कॉपर एनोड बॉल्स/नगेट्स सीटीएच 74199990 'कॉपर के अन्य आर्टिकल्स' के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय हैं और बीसीडी 10 *प्रतिशत* की दर से और आईजीएसटी की 18 *प्रतिशत* की बजाय 28 *प्रतिशत* (14 नवंबर 2017 तक) दर पर लगाया जाता है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹73.65 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताये जाने पर (मार्च 2019) आईसीडी, तुगलकाबाद के प्राधिकारियों ने ₹73.65 लाख और ₹9.56 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

3.7.10 पावर बैंक आयात को 'इलेक्ट्रिकल एक्युमुलेटर-लिथियम आयन' के रूप में गलत वर्गीकरण

पावर बैंक एक पोर्टेबल चार्जर है जो विद्युत उपकरणों जैसे सेल फोन, टैबलेट, पोर्टेबल स्पीकर, कैमरा और यहां तक कि लैपटॉप को रिचार्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक इलेक्ट्रिकल एक्युमुलेटर होने के नाते पावर बैंक, सीटीएच 85078000 'अन्य एक्युमुलेटर के तहत वर्गीकरण योग्य है और अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर दिनांक 28 जून 2017 के तहत 28 *प्रतिशत* आईजीएसटी उद्ग्रहणीय है (क्रम सं.139/अनुसूची IV- इलेक्ट्रिकल्स एक्युमुलेटर, जिसमें उसके लिए विभाजक शामिल हैं, चाहे आयातकार हो या नहीं (लिथियम आयन बैटरी और अन्य लिथियम आयन संचायकों के अलावा अन्य वर्ग सहित) । कर अनुसंधान इकाई, सीबीआईसी ने अप्रैल 2017 (फाइल संख्या 354/29/2017- टीआरयु दिनांक 26 अप्रैल 2017) के परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 'पावर बैंक' को सीटीटीएच 85078000 के तहत वर्गीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा में 2018-19 के दौरान सीटीएच 85078000 के तहत दर्ज किए गए ₹48.23 करोड़ मूल्य के 100 बीई में से 13 बीई में माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹70.94 लाख के आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण बताया गया।

मेसर्स एए और पांच अन्य ने जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई के माध्यम से "पावर बैंक" के 13 परेषणों का आयात किया था। आयातकों ने आयातित माल को 'इलेक्ट्रिकल एक्युमुलेटर-लिथियम आयन' के लिए अभिप्रेत सीटीएच 85076000 के तहत गलत वर्गीकृत करके निकासी कराई थी। विभाग द्वारा उपरोक्त अधिसूचना की क्र.सं. 376 एए (लिथियम आयन बैटरी पर लागू) के तहत माल का निर्धारण आईजीएसटी की 18 *प्रतिशत* की दर पर किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 'पावर बैंक' होने के कारण माल सीटीएच 85078000 के तहत उचित रूप से वर्गीकरण योग्य है और आईजीएसटी को 28 *प्रतिशत* की दर पर लगाया जाना है (अधिसूचना संख्या 1/2017

दिनांक 28.06.2017 अनुसूची IV क्र.सं. 139) । इस प्रकार, पावर बैंक के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹70.94 लाख की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ। आयातकों से इसकी लागू ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित थी।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2019) सीमा शुल्क आयुक्त (चेन्नई-II) के प्राधिकारियों ने तीन आयातकों के संबंध में ₹3.88 लाख के ब्याज सहित ₹43.32 लाख की वसूली की सूचना दी (मार्च/सितंबर 2020)। आगे की प्रगति प्रशिक्षित थी (सितंबर 2021)।

3.7.11 'सीवीडस् एक्सट्रैक्ट फ्लेक्स/तरल सीबीड प्लांट एक्सट्रैक्ट' को पशु और वनस्पति उर्वरक/अन्य उर्वरकों/जैविक रसायनों के रूप मे गलत वर्गीकरण

सीवीडस् सीटीएच 12122910 के तहत वर्गीकरणीय हैं और इस पर 30 जून 2017 तक 30 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 4 *प्रतिशत* की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद, सीवीडस् पर सीवीडी और एसीडी के बजाय 5 *प्रतिशत* (अधिसूचना सं.1/2017- एकीकृत कर (दर), अनुसूची I, क्र.सं. 74) की दर से आईजीएसटी लगता है।

एचएसएन के अनुसार, शीर्षक 1212 में सभी सीवीड और शैवाल शामिल हैं, चाहे वह खाने योग्य हो या नहीं। ये सीवीड ताजा, ठंडा, जमे हुए, सूखे या जमीनी हो सकते हैं। सीवीड और अन्य शैवाल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधन, मानव उपभोग, पशु आहार और उर्वरकों के लिए किया जाता है।

मार्च 2016 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान 46 बीई के तहत आईसीडी तुगलकाबाद (आयात आयुक्तालय) दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 31010099 के तहत ₹14.59 करोड़ का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा में सभी 46 बीई की नमूना जांच की गई और ₹2.17 करोड़ मूल्य के आयात के आठ बीई में ₹60.14 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण देखा गया।

मेसर्स एबी प्राइवेट लिमिटेड और दो अन्य ने (मार्च 2016 से जुलाई 2017) ₹2.17 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर 'सीवीड निष्कर्षित फ्लेक्स/सीवीड पौधों का तरल अर्क' के आठ परेषणों का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 31010099 के तहत पशु एवं वनस्पति उर्वरक/अन्य उर्वरक/जैविक रसायन' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 1 जुलाई 2017 से आईजीएसटी के अलावा 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित मदों को सीटीएच 12122910- सीवीड के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय है और उद्ग्रहीत 7.5 *प्रतिशत* के बजाय 30 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उद्ग्रहण योग्य है।

इसलिए, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹60.14 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (जनवरी 2018), विभाग ने तीन आयातकों के प्रति ₹ 60.14 लाख (मेसर्स एसी लिमिटेड- चार बीई; ₹28.43 लाख, मेसर्स एडी प्राइवेट लिमिटेड - एक बीई; ₹9.33 लाख और मेसर्स एबी प्राइवेट लिमिटेड -तीन बीई; ₹22.38 लाख) की मांगों (सितंबर 2019/अप्रैल/जुलाई 2021) की पुष्टि की। आईसीडी, तुगलकाबाद के प्राधिकारियों ने आगे सूचित किया (जुलाई 2021) कि मेसर्स एसी लिमिटेड ने मूल आदेश के विरुध अपील दर्ज की थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.8 अधिसूचनाओं का गलत उपयोग

नमूना जांच में 34 मामलों में विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुचित उपयोग का पता चला, जिसमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल था। कुल राजस्व निहितार्थ ₹12.60 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित उपयोग के व्यक्तिगत मामलों की सूचना स्थानीय आयुक्तालय को क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से दी गई है। विभाग ने ₹11.17 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ से संबंधित 30 मामलों को स्वीकार किया और 15 मामलों में ₹7.76 करोड़ की वसूली की सूचना दी जिसमें ब्याज शामिल था। अगले पैराग्राफों में ₹7.12 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले आठ मामलों पर चर्चा की गई है और ₹5.48 करोड़

के राजस्व निहितार्थ वाले शेष 26 मामलों को **अनुबंध 4 और 5** में शामिल किया गया है।

3.8.1 आईजीएसटी सूचनाओं के तहत कम/गैर-उद्ग्रहण पुनः आयातों पर आईजीएसटी का अनुद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 45/2017-सीशु दिनांक 30 जून 2017 और अधिसूचना संख्या 46/2017-सीशु दिनांक 30 जून 2017 में भारत में पुन: आयात किए गए माल पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में निर्धारित सीमा शुल्क और उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), (3), (5), (7) और (9) के तहत उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क, एकीकृत कर, क्षतिपूर्ति उपकर के बराबर छूट दी जाएगी जैसा कि अधिसूचना में उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में दर्शाई गई राशि से जितना अधिक है। तदनुसार, अधिसूचनाओं में यह निर्धारित किया गया था कि यदि माल को एकीकृत कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना बांड के तहत निर्यात किया जाता है तो निर्यात के समय भुगतान नहीं किए गए एकीकृत कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि का भुगतान पुन आयात के समय किया जाना है।

अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के दौरान दर्ज किये गए, ₹27,818 करोड़ मूल्य के कुल 24,618 बीई में से लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की और बताया कि कस्टम हाउस, पिपावाव (जामनगर सीमा शुल्क आयुक्तालय के अधीन) में विभिन्न मदों के आयात के संबंध में ₹4.19 करोड़ मूल्य के नौ बीई में ₹66.75 लाख की राशि "आईजीएसटी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अनियमित छूट" दी गई।

मेसर्स एडी लिमिटेड, मेसर्स एई, मेसर्स एएफ लिमिटेड, मेसर्स एजी लिमिटेड और मेसर्स एएच ने नौ बीई (11 परेषण) के माध्यम से बॉन्ड के तहत निर्यात किए गए अपने माल का पुनः आयात किया (सितंबर 2017/मार्च 2018)। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत भुगतान किए जाने वाले लागू एकीकृत कर/केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹66.75 लाख

के एकीकृत कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ, जिसकी वसूली लागू ब्याज के साथ की जानी आवश्यक थी।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2018), विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की (मई 2019) और आयातकों से ₹77.76 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी।

3.8.2 पृथक कार्यों वाली मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों के आयातों पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण (सीटीएच - 8479)

अध्याय 84 में कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं किए गए पृथक कार्यो वाली 'मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों' सीटीएच-8479 के तहत वर्गीकरण योग्य है और इस पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना संख्या 1 अनुसूची III की क्र.सं. 366 में एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017}।

आईसीडी तुगलकाबाद (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹1,194 करोड़ मूल्य पर सीटीएच 8479 के तहत किए गए आयात के लिए लेखापरीक्षा ने कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा "मशीनों" के आयात के पूरे आंकड़ों को फ़िल्टर किया जहां आईजीएसटी का 18 *प्रतिशत* के बजाय 12 *प्रतिशत* पर उद्ग्रहण हुआ था और 20 ऐसे बीई को पाया गया जिसमें ₹7.51 करोड़ मूल्य के आयात शामिल थे, जहां आईजीएसटी को गलत लागू करने के कारण ₹48.49 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

मेसर्स एआई प्राइवेट लिमिटेड और 13 अन्य ने सीटीएच 8479 के तहत आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली के माध्यम से (जुलाई 2017 से फरवरी 2019) ₹7.51 करोड़ मूल्य के 30 परेषणों (20 बीई) में विभिन्न मशीनों का आयात किया। आयातित मदों को सीटीएच 84798999/ 84799090/ 84794000/ 84798100 के तहत वर्गीकृत किया गया था और आईजीएसटी का 12 *प्रतिशत* की दर से {अधिसूचना संख्या 1 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची II की क्र.सं. 201} उद्ग्रहण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कंपोस्टिंग मशीन पर 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (अनुसूची II की क्रम.सं. 201 के तहत) उद्ग्रहण किया जाता है। चूंकि आयातित माल कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा अन्य था, इसलिए इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं। इसलिए आईजीएसटी की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹48.49 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (मार्च 2019) आईसीडी, तुगलकाबाद के प्राधिकारियों ने नौ आयातकों से ₹1.72 लाख के ब्याज के साथ ₹14.21 लाख की आंशिक वसूली की सूचना दी और एक आयातक के प्रति ₹0.74 लाख की मांग की पुष्टि की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.8.3 'ध्वनि छवि या अन्य डेटा की रिसेप्शन, रूपांतरण और संचरण या पुन: सृजन के लिए मशीनों' पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण, (सीटीएच - 851762)

'स्विचिंग और रूटिंग उपकरण सहित 'ध्वनि छवि या अन्य डेटा की रिसेप्शन, रूपांतरण और संचरण या पुन: सृजन के लिए मशीनों' सीटीएच 851762 के तहत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं (अधिसूचना संख्या 01 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III की क्र.सं. 379 के तहत)।

सीटीएच 851762 के तहत दिल्ली के एनसीएच (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से जुलाई 2017 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 1,33,737 बीई के तहत किए गए ₹10,687 करोड़ मूल्य के आयात के लिए, लेखापरीक्षा ने पूरे आंकड़ों को फ़िल्टर किया और देखा कि ₹17.03 करोड़ मूल्य के आयात वाले 118 बीई में ₹1.20 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ हैं।

मेसर्स एजे लिमिटेड और 62 अन्य ने ₹17.03 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर "मोबाइल के अलावा अन्य उपयोग के लिए, छवि या अन्य डेटा ध्वनि की प्राप्ति, रूपांतरण और संचरण या पुन: सृजन के लिए विभिन्न मशीनें" आयात की (जुलाई 2017 से जुलाई 2019)। आयातित मदों को सीटीएच 851762 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था लेकिन

आईजीएसटी का लागू 18 *प्रतिशत* के बजाय 12 *प्रतिशत* की दर से उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्राप्ति/रूपांतरण/संचरण की मशीनें होने के नाते आयातित माल पर आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* की दर से (अनुसूची III के क्र.सं.379 के तहत) उदगृहणीय था। इस प्रकार, आईजीएसटी की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2019), एसीसी (आयात) नई दिल्ली के प्रधान आयुक्त ने आठ आयातकों से ₹2.54 लाख की वसूली, सात आयातकों के संबंध में ₹61.10 लाख की राशि की मांग की पुष्टि और 12 आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सूचना दी है (अप्रैल 2021)। शेष आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

इसी प्रकार के आयातों के गलत वर्गीकरण के उदाहरणों को भी देखा गया (संदर्भ पैरा 3.7.3) जिसके परिणामस्वरूप गलत आईजीएसटी के अलावा बीसीडी का गलत निर्धारण हुआ। सीबीआईसी यह पता कर सकता है कि क्या ये उदाहरण आईसीईएस में टैरिफ मास्टर तालिका में सीटीएच 851762 अपडेट के साथ मिलान के मुद्दों के कारण हैं।

3.8.4 'लिथियम आयन सेल' आयात पर आईजीएसटी दर को गलत लागू करना

'लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल' सीटीएच-85076000 के तहत वर्गीकरणीय हैं और अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची IV की क्रम.सं. 139 के अनुसार 28 *प्रतिशत* की दर से दिनांक 26 जुलाई 2018 तक और उसके बाद अनुसूची III के एसएल संख्या 376 एए के रूप में 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं।

जुलाई 2017 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) -एसीसी एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 85076000 के तहत ₹5,730.03 करोड़ मूल्य वाले माल के आयात

के लिए कुल 11,739 बीई दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा ने "लिथियम आयन सेल" के आयात के आंकड़ों को फ़िल्टर किया और पाया कि "लिथियम आयन सेल" के आयात को शामिल करते हुए 17 बीई का मूल्य ₹3.93 करोड़ था जहां ₹62.84 लाख कम शुल्क उदग्रहण किया गया था।

मैसर्स एके और छह अन्य ने सीटीएच 85076000 के तहत ₹3.93 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर ' लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स (मोबाइल फोन की बैटरी) के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल' की 17 परेषण का सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) -एसीसी, एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से आयात किया (जुलाई 2017 से जनवरी 2018)। आयातित माल को सीटीएच-85076000 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था और उपरोक्त अधिसूचना के क्रम. सं.- 203 के अनुसार 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी को उदग्रहित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि आयातित माल ' लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स (मोबाइल फोन की बैटरी) के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल' हैं। इसलिए आईजीएसटी को अनुसूची-IV की क्रम. सं. 139 के अनुसार 28 *प्रतिशत* की दर से उदग्रहित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के परिणामस्वरूप ₹62.84 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातकों से वसूल किया जाना था।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2019/फरवरी 2020), विभाग ने तीन आयातकों से ₹0.79 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी (मार्च 2020) और दो मामलों पर अधिनिर्णय और एक आयातक को पूर्व नोटिस परामर्श (पीएनसी) दिया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2021)।

3.8.5 'आईफोन (मोबाइल फोन)' के आयात पर अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अनुसार, किसी भी आयातित माल पर लागू शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर, धारा 46 के तहत घरेलू

उपभोग के लिए दर्ज माल के मामले में लागू दर और मूल्यांकन होगा, जिस तिथि को ऐसी माल के संबंध में एक बीई धारा 46 के तहत प्रस्तुत किया गया है। बशर्ते कि यदि कोई बीई जहाज की प्रविष्टि आवक की तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया है, तो बीई को ऐसी प्रविष्टि आवक की तिथि को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा, 14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 91/2017-सीमा शुल्क (बीसीडी) के अनुसार सीटीएच 85171290 के तहत आने वाले माल पर लागू शुल्क की दर 15 *प्रतिशत* थी। तदनुसार, बीसीडी 14 दिसंबर 2017 से उपरोक्त अधिसूचना की क्रम.संख्या (ए) (ii) के तहत 15 *प्रतिशत* की दर से आयातित माल 'आई फोन (मोबाइल फोन)' पर उदग्रहीत किया जाता है।

2017-18 की अवधि के दौरान**,** सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और हवाई अड्डा)**,** बेंगलुरु के माध्यम से सीटीएच 85171290 के तहत ₹19.92 करोड़ मूल्य के माल **'**आईफोन (मोबाइल फोन)**'** के आयात के लिए कुल छह बीई दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा में सभी बीई की नमूना जांच की गई और सभी छह बीई में ₹1.12 करोड़ की बीसीडी के कम उदग्रहण को बताया।

मेसर्स एएल प्राइवेट लिमिटेड (दिसंबर 2017) ने सीटीएच 85171290 के तहत बेंगलुरु के सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और हवाई अड्डा) के माध्यम से माल 'आईफोन (मोबाइल फोन)' के छह परेषण आयात किए। लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि बीई 12 दिसंबर 2017 और 13 दिसंबर 2017 को दर्ज की गई थी और माल के इन सभी परेषणों की प्रविष्टि आवक की तिथि 14 दिसंबर 2017 और 15 दिसंबर 2017 थी। इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के परंतुक के अनुसार, इन मामलों में, शुल्क का निर्धारण प्रविष्टि आवक की तिथि पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, दिनांक 14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना 91/2017-सीयू (बीसीडी) के अनुसार 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहित किया जाना चाहिए। हालांकि, विभाग ने बीसीडी की कम दर अर्थात 15 *प्रतिशत* के बजाय 10 *प्रतिशत* अपनाकर माल का निर्धारण किया। इसके

परिणामस्वरूप ₹1.12 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ जिसे आयातकों से लागू ब्याज सहित वसूल करना आवश्यक था।

इस विषय में बताए जाने पर (अप्रैल 2019), वित मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और ₹1.38 करोड़ के अंतर शुल्क की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021) जिसमें ₹0.26 करोड़ का ब्याज शामिल था।

3.8.6 मोबाइल फोन के पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) को अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति

मोबाइल फोन के पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) सीटीएच 85177010 के तहत वर्गीकरणीय है और 2 अप्रैल 2018 से 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाता हैं। (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 36/2018-सीमा शुल्क दिनांक 2 अप्रैल 2018)।

782 बीई के तहत एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से अप्रैल 2018 के दौरान किए गए ₹427 करोड़ मूल्य के सीटीएच 85177010 के तहत आयात को, लेखापरीक्षा ने "मोबाइल फोन के निर्माण के लिए पीसीबी असेंबली" के आयात के लिए पूरे डेटा को फ़िल्टर किया और यह पाया कि ₹11.64 करोड़ मूल्य के आयात वाले 22 बीई में ₹1.30 करोड़ का शुल्क कम उदग्रहित किया गया था।

मेसर्स एएम प्राइवेट लिमिटेड और आठ अन्य ने एसीसी, एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से ₹11.64 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर 2 अप्रैल 2018 को मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए पीसीबी असेंबली के 22 परेषणों का आयात किया। माल को सीटीएच 85177010-पीसीबी के तहत सही रूप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन शून्य दर पर बीसीडी के लिए निर्धारित किया गया था (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 की क्र. सं. 13एस/ सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 की क्र. सं.6 (क) (i))।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि माल को सही रूप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 की क्रम. सं. 13 एस का लाभ मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए पीसीबी असेंबली के लिए

विस्तारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 के क्र. संख्या 6 (i) का लाभ 2 अप्रैल 2018 (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 37 और 38/2018 दिनांक 2 अप्रैल 2018) से वापस ले लिया गया था। तदनुसार, आयातित माल शून्य के बजाय 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के लिए उदग्राहय था। इस प्रकार, आयातित माल पर अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2018), एनसीएच अधिकारियों ने पांच आयातकों[15] से ₹1.09 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी (मार्च 2020) और शेष चार आयातकों के संबंध में ₹45.03 लाख की मांग की पुष्टि की।

3.8.7 छूट की गलत अनुमति के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017, यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 75/2018-सीमा शुल्क दिनांक 11 अक्टूबर 2018 के अनुसार सीटीएच 8517 6290 के तहत आने वाले 'माल के अलावा अन्य सभी माल अर्थात्: (क) कलाई पर पहनने वाले उपकरण (आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है) (ख) ऑप्टिकल परिवहन उपकरण (ग) एक या अधिक पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपत्तन उत्पाद या स्विच (पीओटीपी या पीओटीएस) का संयोजन (घ) ऑप्टिकल ट्रांसपत्तन नेटवर्क (ओटीएन) उत्पाद (ड.) आईपी रेडियो पर 10 *प्रतिशत* रियायती बीसीडी लगती हैं जबकि छूट प्राप्त के अलावा अन्य माल पर 20 *प्रतिशत* की बीसीडी उदग्राहय हैं।

एसीसी-नेदुम्बसेरी, केरल में सीटीएच 85176290 के तहत दर्ज किए गए ₹17.19 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ कुल 102 बीई में से, लेखापरीक्षा ने ₹9.92 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ 45 बीई की नमूना जांच की और ₹4.40 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले तीन बीई में ₹58.96 लाख के शुल्क के कम उदग्रहण को पाया।

[15] 1. मेसर्स एएन प्राइवेट लिमिटेड, 2. मेसर्स एओ, 3. मेसर्स एपी प्राइवेट लिमिटेड, 4. मेसर्स ए प्राइवेट लिमिटेड, 5. मेसर्स एएम प्राइवेट लिमिटेड

मेसर्स एक्यू लिमिटेड ने एसीसी-नेदुम्बसेरी, केरल के माध्यम से ₹4.40 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य के साथ माल के तीन परेषणों नामत: कैबिनेट, बोर्ड, टेलीफोन, की बोर्ड, ट्रांसीवर्स, रूटिंग सॉफ्टवेयर आदि का आयात किया था (जनवरी 2019)। माल को सीटीएच 8517 6290 के तहत वर्गीकृत किया गया था और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 दिनांक 30 जून 2017 (क्रम. सं.20) के तहत छूट के लाभ की अनुमति देने के बाद 10 *प्रतिशत* पर बीसीडी का निर्धारण किया गया था। कुल एकत्रित शुल्क ₹1.34 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयातित माल पीओटीपी या पीओटीएस/ओटीएन उत्पाद, अर्थात् प्राप्ति, रूपांतरण और ट्रांसमिशन के लिए मशीनें या ध्वनि, चित्र या अन्य डेटा, जिसमें स्विचिंग और रूटिंग उपकरण आदि शामिल हैं, और इसलिए, उपर्युक्त अधिसूचना 57/2017 (क्रम.सं. 20) के तहत छूट के लिए पात्र नहीं थे। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹58.96 लाख की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (मई 2020/जनवरी 2021), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि आयातक को एससीएन जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)

3.8.8 लागू एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) उदग्रहीत किए बिना आयात निकासी

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां किसी भी माल को उसके सामान्य मूल्य से कम पर किसी भी देश से भारत को निर्यात किया जाता है, तो भारत में ऐसे माल के आयात पर, केंद्र सरकार, एक अधिसूचना द्वारा, एडीडी लागू कर सकती है। तदनुसार, डाइक्लोरोमिथेन (मेथिलीन क्लोराइड), क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड राल (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड मोनोमर, के होमो पॉलिमर, सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर, ऑफलोक्सीन एसिड और क्लियर फ्लोट ग्लास (मोटाई 4 मिमी से लेकर 12 मिमी तक) जैसी माल पर एडीडी लगाया गया था।

नमूना जांच में पता चला कि चार आयुक्तालयों[16] के माध्यम से आयात के छह मामलों में एडीडी नहीं लगाया गया था जिसका राजस्व निहितार्थ ₹2.06 करोड़ के था। विभाग ने तीन मामलों (₹1.64 करोड़) को स्वीकार किया और दो मामलों में ₹1.30 करोड़ की वसूली की सूचना दी। शेष तीन मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2021)।

इन मामलों में से, एक मामले पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है। ₹93.46 लाख के राजस्व निहितार्थ वाले शेष पांच मामले **अनुबंध 5** में वर्णित हैं।

क. डाइक्लोरोमिथेन (मेथिलीन क्लोराइड) आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना

कोरिया से सीटीएच 29031200 के तहत वर्गीकरणीय डाइक्लोरोमेथेन (मेथिलीन क्लोराइड) के आयात पर यूएसडी 0.21 प्रति किलोग्राम की दर से एडीडी लगता है (अधिसूचना संख्या 24/2014-एडीडी दिनांक 21 मई 2014)।

सीमा शुल्क आयुक्तालय , कच्छ के तहत कस्टम हाउस, कांडला के माध्यम से आयातित (जुलाई से सितंबर 2018), सीटीएच 29031200 (निर्धारण मूल्य ₹9.05 करोड़) के तहत आयातों के कुल 11 बीई में से लेखापरीक्षा ने सात बीई (निर्धारण मुल्य ₹4.33 करोड़) की नमूना जांच की और बताया कि एक बीई में एडीडी (₹17.17 लाख की राशि) का कम उदग्रहण के साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र में ₹95.40 लाख के परित्यक्त शुल्क का परिणामी कम डेबिट हुआ।

मैसर्स एआर लिमिटेड ने अग्रिम प्राधिकार का उपयोग करते हुए एक बीई के तहत 639.589 एमटी "डाइक्लोरोमिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)" का आयात किया था (सितंबर 2018)। माल पर 0.21 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से एडीडी लगता है; तदनुसार, लागू एडीडी की राशि को अग्रिम प्राधिकरण से डेबिट किया जाना आवश्यक था और देय आईजीएसटी राशि

[16] (i) सीमा शुल्क आयुक्तालय , कच्छ, (ii) जेएनसीएच, मुंबई, (iii) आईसीडी, तुगलकाबाद, (iv) कोलकाता सीमा शुल्क (पत्तन)

की गणना के लिए इसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाइसेंस धारक ने, न तो अपने अग्रिम प्राधिकार में लागू एडीडी राशि को डेबिट किया था और न ही आईजीएसटी की गणना के लिए इसे देय माना था। इसके परिणामस्वरूप ₹17.17 लाख की आईजीएसटी का कम उदग्रहण और इसके अलावा अग्रिम प्राधिकरण में ₹95.40 लाख के परित्यक्त शुल्क कम डेबिट हुआ था।

इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2018), विभाग ने बताया (फरवरी 2019), कि लाइसेंस धारक ने कुल ₹17.38 लाख की राशि का भुगतान किया था (दिसंबर 2018) जिसमें ब्याज शामिल था और प्रणाली में ₹95.40 लाख की शुल्क राशि को लाइसेंस से भी डेबिट किया गया था।

3.9 अन्य अनियमितताएं

आग में नष्ट हुए माल पर शुल्क का भुगतान न करना

सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 में कार्गो की हैंडलिंग के विनियम 5 (6) के तहत, संरक्षक सीमा शुल्क आयुक्त को माल की प्राप्ति, भंडारण, सुपुर्दगी, प्रेषण या अन्यथा हैंडलिंग के दौरान दुर्घटना, क्षति, गिरावट, विनाश या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण आयातित या निर्यात माल पर होने वाली हानि या क्षति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लेता है।

लेखापरीक्षा ने अहमदाबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), अदलज में हुई आग दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और इसके संरक्षक, मेसर्स एएस द्वारा ₹2.77 करोड़ के शुल्क का भुगतान न करने की अनियमितता के बारे में बताया।

एक आग दुर्घटना (जून 2016) के कारण, सीएफएस अदलज ने अपने कुल शुल्क मूल्य ₹2.77 करोड़ के संग्रहित माल को खो दिया था। तदनुसार, संरक्षक द्वारा नष्ट माल पर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था जिसका भुगतान सीडब्ल्यूसी द्वारा नहीं किया गया था।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2017) संरक्षक ने आपत्तिकृत शुल्क राशि ₹2.77 करोड़ का भुगतान किया (जून 2018 और जुलाई 2019)।

हालांकि, सीमा शुल्क, अहमदाबाद के प्रधान आयुक्त ने बाद में बताया (अक्टूबर 2019) कि सीडब्ल्यूसी ने सीमा शुल्क का गलत भुगतान किया था। विभाग ने बताया कि (i) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 23, घरेलू खपत के लिए निकासी से पहले किसी भी समय नष्ट हुए आयातित माल पर शुल्क माफी की अनुमति देती है; और (ii) केस लॉ सीईएसटीएटी निर्णय 2006 (201) ईएलटी 18 (ट्राई बैंग) और 2009 (247) ईएलटी 567 (ट्राई अहमद) में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 23 के तहत शुल्क माफी के संबंध में क्रमशः आयातकों मेसर्स जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड और मेसर्स आदित्य इंडस्ट्रीज के पक्ष में इसी तरह की आग की घटना के मामलें में निर्णय दिया गया है।

विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 23 और उपरोक्त सीईएसटीएटी निर्णय के प्रावधान ने वास्तव में माल के आयातकों को शुल्क माफी की अनुमति दी थी न कि संरक्षक को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि निकासी से पहले माल की जिम्मेदारी (घरेलू खपत के लिए) संरक्षक की है। लेखापरीक्षा तर्क को इस तथ्य द्वारा समर्थित किया गया था कि अधिसूचना 96/2010-सी.शु. (एनटी) दिनांक 12 नवंबर 2010 में' सीमा शुल्क क्षेत्र विनियम 2009' में कार्गो की हैंडलिंग, में विशिष्ट शर्तें 5 (1) (ii) और 5 (6) डाली गई, जिसके द्वारा सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता (सीसीएसपी) अर्थात, संरक्षक को कार्गों के लदान, उतराई प्रबंधन और भंडार के लिए 'सुरक्षा, सुरक्षित और विशाल परिसर' के लिए और' माल की प्राप्ति, भंडारण, वितरण, प्रेषण या अन्यथा हैंडलिंग के दौरान आयातित या निर्यातित माल की हानि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता से सीमा शुल्क को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सीमा शुल्क परिपत्र 04/2011 दिनांक 10 जनवरी 2011 की क्रम. सं. 4 और 9 में यह निर्धारित किया गया था संसदीय समिति की सिफारिशों पर विनियमों में उपरोक्त शर्तों को नियमावली में शामिल किया गया था और सीमा शुल्क आयुक्तों को बिना कोई चूक इन आवश्यकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने इस अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2021) कि आयुक्तालय ने पहले ही संरक्षक - मेसर्स एएस से ₹2.77 करोड़ की वसूली की है और ₹87.31 लाख के ब्याज की मांग के लिए एक एससीएन (सितंबर 2018) भी जारी किया है, जो अधिनिर्णयन के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

तथ्य यह रहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद वसूली की गई थी। संरक्षक द्वारा न तो आग में नष्ट हुए माल पर शुल्क माफी के लिए कोई अनुरोध किया गया था और न ही सीमा शुल्क विभाग ने शुल्क माफी के लिए कोई आदेश जारी किया था। इसके अतिरिक्त, संरक्षक द्वारा बीमा कंपनी से जो दावा किया गया और भुगतान प्राप्त हुआ उसमें सीमा शुल्क भी शामिल था। मंत्रालय अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार कर सकता है।

3.10 निष्कर्ष

इस अध्याय में आयात के निर्धारणों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई वर्तमान अधिसुचनाओं, लागू सीमा टैरिफ शुल्क और उदग्रहणो का अनुपालन न करने के 102 मामलों पर प्रकाश डाला गया है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण, छूट अधिसूचनाओं के गलत उपयोग या अन्य प्रभारों के गलत उदग्रहण के कारण शुल्क की गैर/कम वसूली होने के कारण ₹122 करोड़ का राजस्व जोखिम पर था।

मंत्रालय/विभाग ने 98 मामलों को स्वीकार कर लिया है और इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय ₹33 करोड़ की वसूली की है। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय चार मामलों में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

हालांकि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन यह बताया जा सकता है कि ये केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटि, चाहे आरएमएस आधारित निर्धारण हो या मैनुअल निर्धारण हो, कई और मामलों में मौजूद हो सकती है।

यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई बड़ी संख्या में बीई का निर्धारण आरएमएस के माध्यम से किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रणाली आधारित निर्धारणों को सुगम बनाने के लिए आरएमएस में मैप किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों के मानचित्रण और अद्यतन करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए।